तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2001 / 5471 / जोधपुर** **भंवरलाल वगैरह बनाम आबूराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/26	**एकल–पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** **–––––** **उपस्थिति :–** श्री एस0 पी0 सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री जी0 एस0 लखावत, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण गंगा देवी वगैरह। ––––– **आदेश** 1– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र बाबत सारहीन होने निगरानी दिनांकित 18–12–2025 पर सुना गया। 2– बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण गंगा बेवा खींयाराम वगैरह ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वर्तमान प्रकरण में वर्णित भूमि के मूल खातेदार किशना पुत्र रावता थे जिनके स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र रणछोड़ के नाम भूमि अंकित की गई तथा रणछोड़ के पुत्र भंवरलाल, खींयाराम, मगाराम, लिछमणराम, बिराराम व गंगाराम के नाम अंकन किया गया। इस भूमि बाबत् भंवरलाल एवं नाबालिग खींयाराम द्वारा एक वसीयतनामा होना बताते हुए भूमि का अंकन नैनूराम पुत्र कुम्भाराम के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 65 अंकित किया गया। नामांतकरण संख्या 65 के द्वारा अभिलेखों में जो परिवर्तन किये गये तथा नैनूराम के नाम का अंकन किया गया इसके आधार पर नैनूराम के पुत्रों द्वारा वाद दायर कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई थी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं राजस्व मण्डल द्वारा भी दिनांक 12–10–2023 को पारित निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को यथावत रखा है। वर्तमान प्रकरण में मूल वाद भंवरलाल, ओमप्रकाश, अरविन्द, रमेश, पुखराज व राकेश द्वारा दिनांक 05–10–1981 के निर्णय व डिक्री को गलत बताते हुए स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद पेश किया जो दिनांक 06–07–1998 को स्वीकार हुआ तथा इसके विरूद्ध आबूराम वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 54/98 पेश की जिसे स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त निर्णय के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27–04–2000 को रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानी पेश की गई है। नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर अपीलार्थी को विधिनुसार अपील पेश करनी चाहिये थी किन्तु ऐसा नहीं कर हस्तगत निगरानी पोषणीय नहीं है। राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा अपील संख्या 874/2005 आबूराम बनाम खींयाराम में पारित निर्णय दिनांक 12–10–2023 को मूल डिक्री दिनांक 05–10–1981 जिसे राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2001/5471/जोधपुर** **भंवरलाल वगैरह बनाम आबूराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 25–02–2005 को खारिज किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा नामांतकरण संख्या 65 गलत रूप से वसीयत बताते हुए स्वीकार किया था जिसमें संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 31–05–2005 को अवैध व शून्य प्रभावी माना था इसे भी निगरानी एलआर संख्या 6409/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12–10–2023 को निगरानी खारिज करते हुए संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा। इस परिप्रेक्ष्य में जो पश्चातवर्ती वाद संख्या 54/98 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 06–07–1998 को निर्णित किया गया था उक्त पश्चातवर्ती वाद में पारित निर्णय व डिक्री को राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 28–10–1999 को निरस्त कर दिया गया तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 27–04–2000 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। वर्तमान निगरानी दिनांक 27–04–2000 के निर्णय के विरूद्ध लंबित है। इस प्रकार जब पश्चातवर्ती वाद जिस आधार पर प्रस्तुत किया गया था उससे संबंधित मूल नामांतकरण संख्या 65 व इसके बाद राजस्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–10–1981 राजस्व मण्डल तक निरस्त हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी एलआर संख्या 6409/2005 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2023 तथा अपील/डिक्री/टीए/874/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12–10–2023 के यथावत रहते वर्तमान निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतएव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका को खारिज किया जाये। 3– अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण भंवरलाल वगैरह ने मौजा सांगरिया स्थित खसरा संख्या 99, 23 व 36 की खातेदारी घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 42/94 प्रतिवादी आबूराम, तुलसीराम, रमेश, सांवलराम, नैनाराम के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 06–07–1998 को डिक्री कर दिया गया। प्रतिवादी अप्रार्थीगण आबूराम वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 54/98 को स्वीकार कर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–1998 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री के रिव्यू हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27–04–2000 द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय दिनांक 27–04–2000 के विरूद्ध हस्तगत निगरानी पेश कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–1999 को अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–1998 को बहाल रखे जाने हेतु धारा–229 के तहत् पारित आदेश दिनांक 27–04–1999 को चुनौती देते हुए यह निगरानी पेश की है। अप्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सारहीन होने से खारिज किया जाये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2001/5471/जोधपुर** **भंवरलाल वगैरह बनाम आबूराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के समर्थन में प्रस्तुत किये गये निर्णयों का भी आद्योपान्त अवलोकन किया गया। 5– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा विरूद्ध आबूराम वगैरह प्रश्नगत भूमि बाबत् राजस्व वाद संख्या 42/94 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश किये जाने पर वाद जरिये निर्णय दिनांक 06–07–1998 डिक्री हुआ। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 54/98 पेश की गई जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–1999 से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–1998 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा निर्णय दिनांक 28–10–1999 के रिव्यू हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–229 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में पेश किये जाने पर उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र को जरिये निर्णय दिनांक 27–04–2000 को खारिज कर दिया गया। 6– प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–230 सपठित धारा–221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 25/99 में पारित निर्णय दिनांक 27–04–2000 के विरूद्ध पेश की गई है। यह सही है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा वाद संख्या 77/81 में पारित निर्णय दिनांक 05–10–1981 को वादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर घोषित करते हुए वादीगण का वाद दिनांक 06–07–1998 को डिक्री हुआ तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील से उक्त वाद व डिक्री दिनांक 06–07–1998 को निरस्त कर दिया गया। यह स्थिति भी सुस्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–10–1981 के विरूद्ध खींयाराम वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 142/2004 (58/04) पेश की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 25–02–2005 से उक्त निर्णय दिनांक 05–10–1981 को निरस्त करते हुए नामांतकरण संख्या 65 के आधार पर दर्ज इन्द्राजात को निरस्त कर दिया। न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा भी निर्णय दिनांक 31–10–2005 से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 65 व 882 को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। आबूराम द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25–02–2005 के विरूद्ध अपील संख्या 874/2005 एवं निर्णय दिनांक 31–10–2005 के विरूद्ध निगरानी याचिका संख्या 6408/2005 व 6409/2005 पेश किये जाने पर मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 12–10–2023 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–10–1981 को अपास्त कर नामांतकरण संख्या 65 व नामांतकरण संख्या 822 को निरस्त कर राजस्व रेकार्ड की पूर्व की स्थिति (दिनांक 01–07–1967) को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2001/5471/जोधपुर** **भंवरलाल वगैरह बनाम आबूराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। उक्त अपील प्रकरण में प्रार्थीगण भंवरलाल, रमेश, पुखराज व राकेश बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार रहे हैं।

7– प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–1999 के विरूद्ध द्वितीय अपील पेश नहीं कर उपरोक्त निर्णय के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 27–04–2000 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका पेश की है। निगरानीधीन आदेश में अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए प्रार्थीगण को द्वितीय अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का भी स्पष्ट विवेचन किया गया, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा विधिनुसार द्वितीय अपील पेश नहीं कर पारित निर्णय व डिक्री को सीधे निगरानी के माध्यम से चुनौती दी गई है।

8– इस संबंध में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा प्रकरण अपील/टीए/511/2023/जयपुर जोबनेर ग्रामीण बहुद्देशीय सहकारी समिति लि0 बनाम जगदीश प्रसाद वगैरह का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्टतः अवधारित किया है कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत् निगरानी के प्रावधान उसी स्थिति में प्राप्त होते है, जब किसी आदेश के विरूद्ध अपील के प्रावधान नहीं हो। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश के मूल आदेश में समाहित होने के कारण एवं उक्त आदेश के वियद्ध अपील का उपचार उपलब्ध होने की दशा में ऐसे आदेशों के वियद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 7 के अनुसार पुनर्विलोकन की नामंजूरी अपील को प्रतिबंधित करता है क्योंकि मूल डिक्री यथावत रहती है जो अपील योग्य है, न कि निगरानी योग्य है।''

9– उक्त विवेचनानुसार एवं विधिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–1999 के विरूद्ध द्वितीय अपील पेश करने का विधिक उपचार उपलब्ध था, किन्तु मूल निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को खारिज करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 27–04–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत निगरानी पोषणीय व संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10– अतएव अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य